परिशिष्ट देखिये नियम –6

फार्म – क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की धारा–2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने फार्म

भाग – 1

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए

01	**परियोजना विवरण**	
i.	आपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण	बगदेवा भूमिगत परियोजना, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर छ.ग. (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) के अंतर्गत कोरबा ज़िले में सन् 1995 से संचालित है। यह परियोजना कोरबा शहर से लगभग 30 कि.मी की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इस परियोजना की कोयला उत्पादन क्षमता 0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
ii.	1: 50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	रिज़नल जियोमेटिक केन्द्र, बिलासपुर द्वारा तैयार किए गए वनस्पति मानचित्र एवं वन परिधी नक्शों की सत्यापित प्रति पृष्ठ क्र. .... में संलग्न है।
iii.	परियोजना की लागत	बगदेवा भूमिगत परियोजना .0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल लागत रु 117.602 करोड़ है।
iv.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	राष्ट्रीय विकास हेतु कोयले उत्खनन/उत्पादन।
v.	लागत लाभ विश्लेषण संलग्न किये जाने के लिए।	बगदेवा भूमिगत परियोजना .0.76 मिलियन टन प्रति वर्ष के प्रस्तावित राजस्व वन भूमि के लिए लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
vi.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रभावित राजस्व वन क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है।

02	**कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण**						
	उद्देश्य	परिक्षेत्र	आरक्षित वन भूमि	संरक्षित वन भूमि	असिंचित वन भूमि	राजस्व वन भूमि	कुल वन भूमि
	भूगर्भ में स्थित कोयले का (भुमिगत) डिपिलरिंग पद्धति से उत्खनन कार्य	कटघोरा वन परिक्षेत्र, कटघोरा वन मण्डल	निरंक	निरंक	निरंक	81.364 हे.	81.364 हे.

03	**परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो तो**	
i.	परिवारों की संख्या	भूमिगत खनन होने के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नही होगा।
ii.	अनुसुचित जाति/जनजातियॅा के परिवारों की संख्या	Nil
iii.	पुनर्वास योजना संलग्न किये जाने के लिए।	एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के बगदेवा भूमिगत परियोजना में भूमिगत खनन होने के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नही होगा, अतः पुनर्वास योजना की आवश्यक्ता नहीं है।
04	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंर्तगत मंजूरी आवश्यक है? या नहीं	हां, पर्यावरण स्वीकृति ली गई है। प्रतिलिपि चेकलिस्ट क्रमांक–11 के साथ संलग्न की गई है।

04	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंर्तगत मंजूरी आवश्यक है? या नहीं	हां, पर्यावरण स्वीकृति ली गई है। प्रतिलिपि चेकलिस्ट क्रमांक–11 के साथ संलग्न की गई है।
05	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके उनुरक्षाण (और/या) दण्ड स्वरूप वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत एवं क्षेत्र में वनीकरण की वचनबद्धता।	वचनबद्धता वचन पत्र पृष्ट. क्र. 247 में संलग्न है।
06	**निर्देषों के अनुसार संलग्न आपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावेज़ों का ब्यौरा**	
•	वनभूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र।	वचन पत्र चेक लिस्ट कमांक–10 के साथ पृष्ठ क्र. 27 में संलग्न है।
•	एतिहासिक स्थल न होने संबंधित प्रमाण पत्र।	वचन पत्र चेक लिस्ट कमांक–27 के साथ पृष्ठ क्र. 255 में संलग्न है।

तारीख–

स्थान – कोरबा क्षेत्र।

30/8/23

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

30/8/23

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

Under jurisdiction of Bilaspur Court only

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(कोल ईण्डिया का एक अंश/A Subsidiary of Coal IndiaLtd.)

कार्यालय महाप्रबंधक, कोरबा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

KORBA AREA

" A MINI RATNA COMPANY "

Regd. Office
SEEPAT ROAD,
POST BOX No: 60
BILASPUR (CG)

Tel: 07759-221041 (Off.)
Fax : 07759-249040

पो. कोरबा,
जिला कोरबा (छ.ग.)
PO: KORBA
DIST: KORBA (CG)

संदर्भ क्रं:एसईसीएल/महाप्रबंधक/कोरबा/2023/72

दिनांक: 30/08/2023

वचन पत्र

प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके उनुरक्षाण (और/या) दण्ड स्वरूप वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत एवं क्षेत्र में वनीकरण की वचनबद्धता जमा करने बाबत्

साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) लिखित रूप से वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि बगदेवा भूमिगत परियोजना की अवेदितराजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंर्तगत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके उनुरक्षाण (और/या) दण्ड स्वरूप वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जमा करने एवं क्षेत्र में वनीकरण करने के लिए कोरबा क्षेत्र पूर्णतः वचनबद्ध है।

30/8/23

उपक्षेत्रीय प्रबंधक
ढेलवाडीह–सिंघाली–बगदेवा उपक्षेत्र

30/8/23

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार

भाग– 2

संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/60227/2020

07	परियोजना का नाम/स्कीम का स्थान	
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	कोरबा
iii.	वन प्रभाग	कटघोरा
iv.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र(हे.)	81.364 हे.
v.	वन की कानूनी स्थिति	राजस्व वनभूमि
	वनभूमि	निरंक।
	राजस्व वन क्षेत्र	81.364 हे.
vi.	हरियाली का घनत्व	<0.4
iv.	प्रजातिवार (वैज्ञानिकनाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाँई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफएफआरएल–2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एफ–4 भी संलग्न किया जाए।	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वनभूमि राजस्व वनभूमि है एवं मौके परस्थित वनस्पति की सघनता 0.4 से भी कम है। वृक्षों की संख्या लगभग................है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वनभूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
v.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदन शील नहीं है।
vi.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन का सीमा से अनुमानित दूरी	<1कि.मी.
vii.	क्या यह राष्ट्रीय वन उघान,वनजीव अभ्यारण्य,जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है।(यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं है।
viii.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिज़ात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं।(यदि हां तो तत्तसंबंधि ब्यौरा दें)	नहीं है।
ix.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/परस्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं।(यदि हां तो तत्तसंबंधि ब्यौरा प्रधिकरण से अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो दें)	नहीं है।

08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जॉचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?	अपरिहार्य एवं न्यूनतम।
09	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नही) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं?	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) अंतर्गत संचालित बगदेवा भुमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वृक्ष विदोहन की आवश्कता नही है अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यक्ता नहीं है।
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र के आस–पास से इसकी दूरी भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित वन्नेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र के आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुलवित्तीय परिव्यय	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित क्षेत्र उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
11	जिला उप वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 8 और में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	पृष्ठ क्र. 251 में संलग्न है।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाईल	कटघोरा वनमण्डल,कटघोरा
i.	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	4325.44 वर्ग कि.मी.
ii.	वनमण्डल का वनक्षेत्र	2050.90 वर्ग कि.मी
iii.	1980 के बाद कुल वनक्षेत्र के वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	प्रकरण संख्या 32 रकबा 3886.608 हे.
iv.	1980 के जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	2302.560 हे.
क	दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनेत्तरभूमि	निरंक
ग	वर्ष 2015–16 तक एक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
•	वनभूमि	.... हे.

•	वनेत्तर	—
13	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उपवनसंरक्षक की विशेष सिफारिशें।	अनुशंसा की जाती है।

तारीख– 04/09/2024

स्थान – कटघोरा (कटघोरा)

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, ज़िला कोरबा (छ.ग.)

संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन

आज दिनांक 9/8/15 को ग्राम सिंघाली, अमरपुर, जेंजरा तहसील - कटघोरा जिला - कोरबा स्थित वन भूमि का संयुक्त जांच दल राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक कटघोरा, पटवारी ह.नं. 02 के पटवारी श्री राधेलाल पैकरा पटवारी ह.नं. 06 के पटवारी श्री संतोष तिवारी तथा वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्राधिकारी कटघोरा की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें ग्राम - सिंघाली पटवारी ह.नं. 06 के ख.नं. 8/1, ख.नं. 270 और ख.नं. 330 रकबा क्रमश: - 27.882 हे.; 17.806 हे. और - 28.33 हे. कुल 48 का निरीक्षण किया गया। जिसमें ख.नं. 8/1 में 4 व्यक्तियों को 0.272 हे. वन अधिकार पत्र एवं। व्यक्ति को पट्टा प्रदान किया गया है। ग्राम अमरपुर ख.नं. 180, 230, 249, 283 रकबा क्रमश: 4.467 हे., 0.874, 0.142 हे. 4.030 हे. का निरीक्षण किया गया जिसमें 6 व्यक्ति को रकबा 0.848 हे. का वन अधिकार पत्र दिया गया है। ग्राम जवाली प.ह.नं. 02 में ख.नं. 104, 107, 108, 109, 113, 116, 121, 190, 193 रकबा क्रमश: 20.308 हे. 6.099 हे. 6.791 हे. 14.650 हे. 15.014 हे. 4.670 हे. 0.162 हे. 3.238 हे. एवं 0.579 हे. का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें 77 व्यक्तियों को रकबा 28.077 हे. का पट्टा एवं 31 व्यक्तियों को रकबा 8.745 हे. वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है।

उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवासरत नहीं है। उक्त प्रस्तावित अधिग्रहित क्षेत्र में शासन द्वारा संचालित पंचायत भवन आंगनबाड़ी पाठशाला। अस्पताल प्रभावित नहीं हो रहा है।

[signature] 1/02

[signature]
संतोष कुमार तिवारी
पटवारी
प.ह.नं. - 07, जेंजरा
तहसील - कटघोरा

[signature] R.I. (Kga)
राजस्व निरीक्षक
कटघोरा

[signature]
[illegible]
कटघोरा

[signature]
ए. के. मारबल
तहसीलदार, कटघोरा

[signature]
वन परिक्षेत्राधिकारी
कटघोरा

भाग –3

(संबंधित मुख्य वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहॉ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वनसंरक्षक ने निरिक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हॉ तो निरिक्षण की तारीख और किये गए प्रेक्षणो को, निरिक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15	क्या संबंधित वनसंरक्षक भाग–ख में दी गई सूचना और उपवनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

हस्ताक्षर
नाम/पद
सरकारी मोहर

तिथि–

स्थान –

भाग – 4

(नोडल अधिकारी अथवा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरा जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिषें।(राय देते समय, संबंधित वनसंरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियॉ की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)	

हस्ताक्षर
नाम / पद
सरकारी मोहर

तिथि –

स्थान –

भाग – 5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार का कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जो अपर सचिव के पद से निचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18	राज्य सरकार की सिफारिष (राय उपर्युक्त भाग–ख या भाग–घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर विषेश रूप से टिप्पणी की जाती है)	

हस्ताक्षर
नाम/पद
सरकारी मोहर

तिथि –

स्थान –